करता है, उ

हिन्दुस्तान, दिनांक- 17-06-16

मनरेगा की योजनाओं की होगी कड़ी निगरानी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर अब इनकी कड़ी निगरानी होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए राज्यस्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (एसक्यूएम) का पैनल बनाने का निर्णय लिया है।

इनकी सूचीबद्धता (एम्पैनलमेंट) कार्य पर आधारित होगी। उन्हें उन क्षेत्रों का दौरा करना होगा, जहां वास्तव में योजनाएं कार्यान्वित होती हैं। चयनित एसक्यूएम पांच दिनों तक उस क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहां वे लाभान्वितों से मिलकर योजनाओं की जानकारी लेंगे। क्रियान्वयन की स्थिति और सृजित परिसंपत्तियों की गुणात्मक जांच करेंगे। इसके आधार पर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे।

इनको मनरेगा के अलावा उन कार्यों का भी निष्पादन करना होगा, जो समय-समय पर विभाग उनको उपलब्ध कराएगा। साथ ही केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से कोई शिकायत आती है, तो वे उसकी भी जांच करेंगे।

1500 मानदेय, यात्रा भत्ता अलग : इनको प्रतिदिन 1500 रुपए मानदेय और यात्रा भत्ता अलग से मिलेगा। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा।

योग्यता स्नातक व आयु 66 वर्ष (1 जुलाई, 2016 को) रखी गई है। एसक्यूएम पद के लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है।

सख्ती

- गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर एसक्यूएम पैनल बनाने का निर्णय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय पैनल के आधार पर दो वर्ष के लिए करेगा चयन
- सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की जांच कर देंगे रिपोर्ट

एसक्यूएम की सूचीबद्धता की शर्तें

एसक्यूएम का चयन 2 वर्षों की सूचीबद्धता के आधार पर किया जाएगा। उनके द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक समीक्षा होगी। सब संतोषजनक रहने पर ही उनकी सेवा का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। वरना उनका एम्पैनलमेंट रद्द कर दिया जाएगा। इनका चयन प्रशासन, शिक्षा, लेखा, अंकेक्षण, पुलिस, अभियंता, कृषि, योजना और सांख्यिकी, पशुपालन और मत्स्य और वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारियों, जो संयुक्त सचिव स्तर या इसके ऊपर के हों तथा समाजशास्त्र, सामाजिक क्षेत्र के कार्य का अनुभव हो।